संख्या- 16/2020/ 692 /अडतीस-7-2020-10नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2020

विषय- प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी विकास खण्डों तथा जनपदों को मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में व्यय के लिए धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। सम्प्रति मनरेगा योजना के अन्तर्गत काफी तेज गति से कार्य चल रहा है, इसलिए मौके पर कार्यों के सघन निरीक्षण एवं अनुश्रवण के लिए कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी व अन्य अधिकारियों द्वारा पूरी सघनता के साथ कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। गहन निरीक्षण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने एवं मजदूरों को समय से मजदूरी भुगतान के लिए आवश्यक है।

2- प्रशासनिक मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी आवश्यकतानुसार आवश्यक संख्या में वाहन किराये पर ले सकते हैं और इसका भुगतान प्रशासनिक मद से किया जा सकता है। यहां यह स्पष्ट किया जाना है कि खण्ड विकास अधिकारी मनरेगा योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अतः वह स्वंय अपने स्तर से मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक संख्या में किराये पर वाहन लेने हेतु अधिकृत हैं।

3-यदि किसी विकास खण्ड में मनरेगा योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि समाप्त हो जाय तो कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी प्रशासनिक मद के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग प्रेषित कर सकते हैं।

भवदीय

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या- 16/2020/ 692(1)/अड्तीस-7-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) गार्ड बुक।

आज्ञा से

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in